

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना  
 गोधीलाल वनाम सरकार जी प्रो. वट्टेसीलदार  
 रावा नं० 380 सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
<p>8.9.22 काय यह पत्र पेश किया जाय करके लखनऊ प्रकृतिवादी तालिका को 21-11-22 को पेश करे।</p>	
<p>81-11-22 काय पत्रावली पेश करे।                  उपस्थित है, दस्तावेज कायत है।                  पत्रावली कायत दस्तावेज कायत है।                  दिनांक 17-1-23 को पेश करे।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी                  नीमराना (अलपर) राज.</p>
<p>17-1-23 काय पत्रावली पेश करे।                  उपस्थित है, दस्तावेज कायत है।                  पत्रावली कायत दस्तावेज कायत है।                  दिनांक 23-2-23 को पेश करे।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी                  नीमराना (अलपर) राज.</p>
<p>23 2/23 आज यह पत्रावली पेश हुई। वार सध नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26-0-23 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी                  नीमराना (अलपर) राज.</p>

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

13-5-24

आज यह पत्रावली पेश की गई। वार-सब नीमराना द्वारा कार्य प्रगति किने जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पर आदेशीकानुसार अखिर कार्यवाही हेतु दिनांक 12-9-24 को पेश रहे।

जि.क.जी.ए. डण्डा  
(सि.क.जी.ए. - सि.क.जी.ए.) जज

12-9-24

आज यह पत्रावली पेश की गई फरीकन के वक्तव्य उपस्थित है। पीठारीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। उनके आने पर पत्रावली दिनांक 11-11-24 को पेश की जावे।

11-11-24

आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता का वार-सब आवाज दिलवायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हो रही एवं अदम वाली दखली साबित होती है। अतः यह प्रार्थना पत्र वादी की अदम होजरी व अदम पेश की के धरिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर लेख मण्डार अलवर जमा करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (कोटपूतली-फररोड)

जि.क.जी.ए. डण्डा  
(सि.क.जी.ए. - सि.क.जी.ए.) जज